


आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को **रु० 30,000/-** (तीस हजार रूपए) तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 3,00,000/- (तीन लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि **रु० 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए) मात्र** अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.स.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सीता देवी, 54, रघुनाथ राम, अनु०-जाति	रघुनाथ राम (पति) 5827038 82014	2335, 03.09.2025 1995, 24.07.2025	ग्रा०-मुर्वां, पो०-भोरहा, थाना+प्रखण्ड- पानापुर, जिला-सारण, छपरा 8294474499	1006091 0300386 15	UBGB, CBIN0 R10001	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मनरेगा श्रमिक मजदूर
2	स्व० गौतम महर्तो, 54, हरिहर प्रसाद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	विमल देवी (पत्नी) 2218439 38694	तदैव	ग्रा०-जानकीनगर, पो०-कमना, थाना-कोपा, प्रखण्ड-जलालपुर, जिला-सारण, छपरा 8980368532	4383871 7630	SBI, SBIN0 015924	रु० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
3	स्व० टुकर सिंह, 45, बैजनाथ सिंह, सामान्य	निर्मला देवी (पत्नी) 5683679 41487	तदैव	ग्रा०-मुर्वां खाश, पो०-गम्हरिया, थाना-इसुआपुर, प्रखण्ड-इसुआपुर, जिला-सारण, छपरा 8083277225	3401884 2232	SBI, SBIN0 005438	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० चुचु महर्तो, 38, प्यारचन महर्तो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सलीता देवी (पत्नी) 4853930 68603	तदैव	ग्रा०-कालुपुर, पो०-तुजारपुर, थाना-खैरा, प्रखण्ड-नगरा, जिला-सारण, छपरा 7205077992	9640001 7000387 98	PNB, PUNB0 964000	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
5	स्व० लक्ष्मण चौधरी, 61, स्व० मिश्री चौधरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	आशा देवी (पत्नी) 8367546 01261	तदैव	ग्रा०-महाराजगंज, पो०-गुल्टेनगंज, थाना-मुफरिसल, प्रखण्ड-सदर, जिला-सारण, छपरा 8757656192	1002754 10129	Indusind Bank, INDB0 000469	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर



6	स्व० भूषण कुवर, 47, जगदीश कुंवर, सामान्य	ज्ञान्ती देवी (पत्नी) 8014770 64912	तदैव	ग्रा०-बेलकुण्डा, पो०-किशनपुर, थाना-जलालपुर, प्रखण्ड-जलालपुर, जिला-सारण, छपरा 8210934932	2203000 1071940 78	PNB, PUNB0 220300	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, सड़क मजदूरी
7	स्व० कमलेश राय, 61, शिवपुजन राय, पिछड़ा वर्ग	कामिनी देवी (पत्नी) 8356412 72362	तदैव	ग्रा०-लालबाजार, पो०-गुल्टेनगंज, थाना-मुफस्सिल, प्रखण्ड-सदर, जिला-सारण, छपरा 7082230892	1002761 30484	Indusind Bank, INDB0 000469	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, मनरेगा श्रमिक

कुल :- रु० 3,30,000/-

(तीन लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-54/2025-73

पटना, दिनांक :- 06/01/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए) मात्र बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, सारण, छपरा/श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 06-01-2026 13:01:19

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक